रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 806] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2004/भाद्र 31, 1926

No. 806] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2004/BHADRA 31, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2004

का.आ. 1027(अ).— केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) स्कीम, 2004 है ।

(2) इस स्कीम के उपबंध 1 अप्रैल, 2004 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 में,-

(क) पैरा 6 ख के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि मूल वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता 1 अप्रैल, 2004 से यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के मूल वेतन के साथ आमेलित किया जाएगा और महंगाई वेतन के रूप में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा ।

टिप्पणः महंगाई वेतन को, भत्तों, स्थानांतरण अनुदान, सेवा निवृत्ति फायदे, साधारण भविष्य निधि में अभिदाय, अनुज्ञप्ति फीस, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के लिए मासिक अभिदाय, विभिन्न अग्रिमों

आदि के संदाय जैसे प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा । तथापि छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता या दौरे और स्थानांतरण के दौरान दैनिक भत्ता और सरकारी आवास सुविधा के लिए हकदारी महंगाई वेतन को गणना में लिए बिना केवल मूल वेतन के आधार पर शासित होती रहेंगी ।" ।

(ख) पैरा 9 में "प्रत्येक अधिकारी" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "अभिदाय भविष्य निधि में करेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"भविष्य निधि में, -

(i) अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक से भिन्न प्रत्येक अधिकारी के मामले में मूल वेतन धन वैयक्तिक वेतन, यदि को हो, के 10 प्रतिशत की दर से ;

(ii) यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के मामले में मूल वेतन तथा वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, और महंगाई वेतन के 10 प्रतिशत की दर से,

यथास्थिति निगम या कंपनी द्वारा किसी अभिदाय के बराबर अभिदाय किया जाएगा ।" ;

(ग) नवीं अनुसूची में,-

(i) मद II की उपमद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंतः स्थापित की जाएगी अर्थात् :-

"(iv)मूल वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता 1 अप्रैल, 2004 से यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के मामले में मूल वेतन के साथ आमेलित किया जाएगा ।";

(ii) मद III की उपमद (i) में निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह कि यथास्थिति अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को संदेय महंगाई भत्ता 1 अप्रैल, 2004 से उसके मूल वेतन जिसके अंतर्गत महंगाई वेतन भी है, का 11 प्रतिशत होगा ।"

(घ) मद (iv) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह और कि यथास्थिति किसी ऐसे अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को, जिसके लिए वास-सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है निम्नलिखित दर से मकान किराया भत्ता संदत्त किया जाएगाः

(क) मुम्बई और नई दिल्ली में प्रतिमास प्राप्त मूल वेतन और महंगाई वेतन का 30 प्रतिशत ; और

(ख) कलकत्ता और चैन्नई में प्रतिमास प्राप्त मूल वेतन और महंगाई वेतन का 15 प्रतिशत ।"

[फा. सं. 2(3)/2004-बीमा III (iv)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बीमा और बैंककारी)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, 1.4.2004 से भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की बाबत महंगाई भत्ते का 50% महंगाई वेतन में संपरिवर्तित करने का अनुमोदन कर दिया है । तदनुसार सुव्यवस्थीकरण स्कीम के उपबंध महंगाई वेतन का उपबंध करने के लिए संशोधित किए जाते हैं ।

पाद टिप्पण :- मूल स्कीम अधिसूचना सं. का.आ. सं. 521 (अ) तारीख 17.9.1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं.का.आ. 672(अ) तारीख 21.11.1975, का.आ. 389(अ) तारीख 1.6.1976, का.आ. 2445 तारीख 30.7.1977, का.आ. 1047 तारीख 29.3.1978, का.आ. सं. 2110 तारीख 14.6.1978, का.आ. 3428 तारीख 16.11.1978, का.आ. तारीख 20.12.1978, का.आ. 770(अ) तारीख 15.10.1985, का.आ. 883(अ) तारीख 9.12.1985, का.आ. 442 (अ) तारीख 27.4.1987, का.आ. 138 (अ) तारीख 29.1.1988, का.आ. 782 (अ) तारीख 22.8.1988, का.आ. 572 (अ) तारीख 25.7.1989, का.आ. 751(अ) तारीख 1.10.1990, का.आ. 200(अ) तारीख 10.3.1992, का.आ. 81(अ) तारीख 2.2.1994, का.आ. 592(अ) तारीख 30.6.1995, का.आ. 521(अ) तारीख 18.07.1996, का.आ.108(अ) तारीख 14.2.1997, का.आ. 168(अ) तारीख 5.3.1998 और का.आ. 729 (अ) तारीख 27.8.1998, का.आ. 695 (अ) तारीख 30.8.1999, का.आ. 587 (अ) तारीख 22.6.2000, और का.आ. 781 (अ) तारीख 14.08.2001 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2004

S.O. 1027(E).— In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) (Amendment) Scheme, 2004.

(2) The provisions of this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st April, 2004.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975,-

(a) in Paragraph 6B, after the proviso, the following shall be inserted, namely:-

"Provided further that with effect from 1st April, 2004, Dearness Allowance equal to fifty per cent of the basic pay shall be merged with the basic pay of the Chairman, or Managing Director, as the case may be, and shown distinctly as Dearness Pay.

Note: The dearness pay shall be counted for the purposes like payment of allowances, transfer grant, retirement benefits, contribution to general provident fund, license fee, monthly contribution for Central Government Health Scheme, various advances, etc. However, the entitlements for Leave Travel Concession, Travelling Allowance or Daily Allowance while on tour and transfer and Government accommodation shall continue to be governed on the basis of the basic pay alone without taking into account the Dearness Pay.".

(b) in paragraph 9, for the portion beginning with the words "Every officer" and ending with the words "as the case may be", the following shall be substituted, namely:-

"Contribution to the Provident Fund shall be made,-

(i) at 10 per cent. of basic pay plus personal pay, if any, in case of every officer other than the Chairman or the Managing Director;

(ii) at 10 per cent. of basic pay plus personal pay, if any, and Dearness Pay, in case of the Chairman or Managing Director, as the case may be,

with an equal contribution by the Corporation or the Company, as the case may be.";

(c) in Ninth Schedule,-

(i) in item II, after sub-item (iii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

"(iv) With effect from 1st day of April, 2004, Dearness Allowances equal to fifty percent. of the basic pay shall be merged with the basic pay in case of the Chairman or Managing Director, as the case may be.";

(ii) in item III, in sub-item (i), the following proviso shall be inserted, at the end, namely:-

"Provided that with effect from 1st day of April, 2004, the dearness allowance payable to the Chairman or Managing Director, as the case may be shall be 11 percent of his basic pay including dearness pay."

(d) in item (iv), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that with effect from 1st day of April, 2004, the Chairman or Managing Director, as the case may be, who has not been provided with such accommodation, shall be paid a house rent allowance at the following rate:-

(a) at Mumbai and New Delhi, 30 percent. of basic pay and dearness pay drawn per month; and

(b) at Calcutta and Chennai, 15 percent. of basic pay and dearness pay drawn per month."

[F. No. 2(3)/2004-Ins. III (iv)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. (Insurance & Banking)

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to convert 50% of Dearness Allowance to Dearness Pay with effect from . 1.4.2004 to Chairman and Managing Director in General Insurance Corporation of India. Accordingly, the provisions of the Rationalisation Scheme are amended to provide for Dearness Pay.

Foot note:-The Principal Scheme was published vide Notification No.S.O. No.521(E) dated 17.9.1975and subsequently amended by Notification No. S.O.672(E) dated 21.11.1975, S.O.389(E) dated 1.6.1976, S.O. 2445 dated 30.7.1977, S.O. 1047 dated 29.3.1978, S.O. No. 2110 dated 14.6.1978, S.O. 3428 dated 16.11.1978, S.O.dated 20.12.1978, S.O. 770(E) dated 15.10.1985, S.O. 883 (E) dated 9.12.1985, S.O. 442(E) dated 27.4.1987, S.O. 138(E) dated 29.1.1988, S.O. 782(E) dated 22.8.1988, S.O. 572 (E) dated 25.7.1989, S.O.751(E) dated 1.10.1990, S.O. 200(E)dated 10.3.1992, S.O. 81(E) dated 2.2.1994, S.O. 592(E) dated 30.06.1995, S.O. 521(E) dated 18.07.1996, S.O.108(E) dated 14.2.1997, S.O 168 (E) dated 5.3.1998 and S.O.729 (E) dated 27.8.1998, S.O.695(E) dated 30.8.1999 and S.O. 587(E) dated 22.6.2000, S.O. 781(E) 14.08.2001.

*****

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.